भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2586
दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र

2586 श्री संदोष कुमार पीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र चल रहे हैं तथा केरल में इनकी जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आपूर्ति की गई दवाओं तथा उपभोक्ताओं की बचत का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केरल के अल्प-सेवित क्षेत्रों में नए केंद्र खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और
(घ) जनऔषधि केंद्रों पर दवाओं की निर्बाध उपलब्धता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक देश भर में कुल 20,149 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं, जिनमें से 1833 जेएके केरल राज्य में खोले गए हैं। केरल राज्य में खोले गए जेएके की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत उत्पाद सूची में 2,110 दवाइयाँ और 315 शल्य चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएँ और उपकरण शामिल हैं, जिनमें हृदयवाहिका रोग, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल दवाएँ और न्यूट्रास्युटिकल्स जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह कवर किए गए हैं।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2025-26 के दौरान, पीएमबीजेपी ने देश भर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 7,873.85 करोड़ रुपये की बिक्री की है, जिससे नागरिकों को लगभग 37,200 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

(ग): सरकार ने जन औषधि केंद्रों (जेएके) को खोलने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है। केरल सहित पूरे देश में कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म, निजी कंपनियां आदि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए योजना की वेबसाइट (www.janaushadhi.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अल्पसेवित क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र खोलने में सुविधा प्रदान करने के लिए, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) आवेदकों को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क स्थान उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रशासन/जिला मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से पत्र लिख रहा है।

(घ): जेएके में उत्पादों की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सितंबर 2024 से, योजना उत्पाद बास्केट में शीर्ष 100 बिक्री होने वाली औषधियों और बाजार में तेजी से बिक्री होने वाली 100 औषधियों सहित 200 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली औषधियों का जेएके द्वारा स्टॉक रखे जाने को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जेएके मालिक इन औषधियों के अपने द्वारा रखे गए स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के पात्र हैं।

(ii) एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को जोड़ने के लिए एक संपूर्ण सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें पांच मालगोदाम और देश भर में वितरकों, जिनकी वर्तमान संख्या 42 है, का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा 400 तेजी से बिक्री होने वाले उत्पादों की नियमित निगरानी की जाती है और इनकी मांग का निरंतर पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूर्वानुमान पद्धति को डिजिटाइज़ करने के कदम उठाए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से केवल गुणवत्तापूर्ण दवाओं की ही आपूर्ति की जाएं, निम्नलिखित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली लागू की गई हैं:

(i) केवल डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित विनिर्माताओं से खरीद: दवाइयों की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन-उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) का अनुपालन करने वाली औषध इकाइयों से ही की जाती हैं।

(ii) औषधि के सभी बैचों का 100% पूर्व-परीक्षण के बाद ही वितरण: पीएमबीआई के मालगोदामों में आपूर्ति किए गए 100% बैचों का यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है, और सफल गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही औषधियों को जेएके में आपूर्ति के लिए भेजा जाता है।

(iii) एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण: नमूनों का परीक्षण केवल राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है, जिनका मूल्यांकन पीएमबीआई द्वारा उत्तम प्रयोगशाला पद्धतियों (जीएलपी) के अनुपालन के लिए भी किया जाता है।

अनुलग्नक

दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2586 के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में खोले गए जन औषधि केन्द्रों (जेएके) की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	खोले गए जेएके की संख्या
1	अलप्पुझा	138
2	एर्नाकुलम	221
3	इडुक्की	62
4	कन्नूर	106
5	कासरगोड	43
6	कोल्लम	127
7	कोट्टायम	114
8	कोझिकोड	159
9	मलप्पुरम	187
10	पलक्कड़	177
11	पथनमथिट्टा	60
12	तिरुवनंतपुरम	191
13	त्रिशूर	219
14	वायनाड	29
	कुल	**1,833**
